न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 121 / 2020

गवती पुत्री रामप्रसाद पत्नि राजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुराना तहसील हाडी हाल ग्राम मुडसेरस तहसील गोवर्धन (मथुरा)राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र धर्मसिंह
2. एमपाल
3. गेपाल } पिसरान रामप्रसाद
4. बुद्धो पत्नि रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम बुराना तहसील पहाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीया
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थीगण 1 व 4

दिनांक :–17 / 05 / 2022

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 536 / 18 / 0.10 , 90 / 0.31, 288 / 0.39, 292 / 0.45 हैक्टर बांके ग्राम बुराना तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीया, तरतीवी प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही बुजुर्ग की सन्तान है आराजी मुतदाविया प्रार्थीया एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जिसमें सम्मलित होकर काश्त किया जा रहा हैं तथा प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से को भी अप्रार्थीगण काश्त करते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हिस्से की फसल को देते रहते थे उक्त आराजी प्रार्थीया तरतीवी प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है पैतृक आराजी में प्रार्थीया का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा विधिक वारिसान की हैसियत से प्राप्त है। उक्त आराजी का पूर्व में ही बंटवारा कर लिया था लेकिन आज भी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जिसे प्रार्थीया कलमजन कराकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया अपनी ससुराल में रहती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 काफी वृद्ध है जिसे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 आये दिन उकसाते रहते है तथा प्रार्थीया के खिलाफ भडकाते रहते है तथा तरतीवी प्रतिवादी भी प्रार्थीया के देवर की पत्नि है। जिसे भी नही भेजते है प्रार्थीया तरतीवी प्रतिवादी को भेजने की बात करती है तो सभी अप्रार्थीगण नाराज हो जाते है प्रार्थीया अपने पीहर आई हुई थी तो तरतीवी प्रतिवादी को भेजने व प्रार्थीया के हिस्से की आराजी को देने की बात कही तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दिनांक 30/09/2020 को स्पष्ट शब्दों में ग्राम बुराना में दी है। अब हम तरतीवी प्रतिवादी को नहीं भेजेगे और हम आराजी मुतदाविया को तेरी सहमति के बिना दीगर लोगो को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगे । यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अजीम नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीया के 1/5 हिस्से को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इनके विरूद्ध दिनांक 17/02/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 536/18/0.10, 90/0.31, में हिस्सा 1/12 व 288/0.39, 292/0.45 में हिस्सा 1/3 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है अप्रार्थी संख्या 1 कुल आराजी 31.41 एयर है अप्रार्थी संख्या 1 बहुत की गरीब व्यक्ति है उसके पास मात्र 31.41 एयर आराजी है जिससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी दोनो पुत्रीयों व बडे लडके की शादी कर दी है और अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेना चाहता है। लेकिन बडी पुत्री प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 पर नाजायज दबाब बना रही है और तंग व परेशान करने पर उतारू है। मेरी बडी पुत्री के ससुराल वाले मुझ अप्रार्थी पर नाजायज दबाब बनाकर पैसे ऐंठना चाहते है । अप्रार्थी ने कभी भी आराजी बाबत प्रार्थीया को कोई धमकी नहीं दी है और प्रार्थीया को आराजी बाबत किसी भी प्रकार की हुक्म इम्तनाई प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिले खारिजी है। अप्रार्थी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार है और आराजी पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया अपनी ससुराल में रहती है आराजी से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नही है एवं प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष में प्रकट ना होकर मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रकट है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम बुराना में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है । प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 अप्रार्थी संख्या 1 के संतान एवं पत्नि है। प्रार्थीया ने स्वयं प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से को भी अप्रार्थीगण काश्त करते है। जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थीया ने स्वयं प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि तरतीवी प्रतिवादी भी प्रार्थीया के देवर की पत्नि है। जिसे अप्रार्थीगण नही भेजते है प्रार्थीया तरतीवी प्रतिवादी को भेजने की बात करती है तो सभी अप्रार्थीगण नाराज हो जाते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीयां द्वारा वैवाहिक मतभेदों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से दावा किया है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह निर्धारित हो चुका है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है । प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 अप्रार्थी संख्या 1 के संतान एवं पत्नि है। प्रार्थीया के हक हकूक मूल दावे में ही निर्णित होगे। अगर अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को भी भारी नुकसान होगा। क्योंकि उनका जीवन यापन भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से ही होता है। अतः असुविधा भी प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।
3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण में नियत है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

उपखण्ड अधिकारी,
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 07/10/2020 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)